न्यायालयः द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अररिया।

<u>जमानत आवेदन पत्र संख्या–1050 / 2022</u>
रानीगंज थानाकांड संख्या–310 / 2022

रामजी यादव––––––––––––आवेदक।
बनाम
राज्य सरकार

<u>आदेष</u>

<u>19.10.2022</u> अभिरक्षाधीन आवेदक रामजी यादव की ओर से रानीगंज थानाकाण्ड संख्या–310 / 2022 अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 447, 341, 323, 324, 307, 337, 338, 354बी, 379, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक–03.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश राम एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक मो0 अब्दुल मन्नान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि दिनांक–02.09.2022 को समय करीब 10:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर प्राथमिकी के नामित अभियुक्तगण नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर अपने–अपने हाथ में लाठी–लोहा का रड, फरसा, भाला, तलवार लेकर जबरन जमीन से वेदखल करने के लिए ईटा से निर्माण कार्य कर रहे थे। सूचक एवं उसके परिवार के लोग निर्माण कार्य करने से मना किये तो अभियुक्त जामुन यादव गाली–गलौज करते हुए लाठी से मारपीट करने लगा। सूचक का चचेरा भाई सुनिल यादव बचाने आया तो सियाराम यादव अपने हाथ में लिये फरसा से जान मारने की नियत से सुनिल यादव के सिर पर प्रहार कर सिर को जख्मी कर दिया एवं अभियुक्त विजय यादव भाला से मारकर दोनों हाथ को जख्मी कर दिया। अभियुक्त विकाश यादव उसके भाई के उपर फरसा से प्रहार कर जख्मी कर दिया। हल्ला सुनकर परिवार के लोग बचाने आये तो अभियुक्त सियाराम यादव बोला कि सभी को मारकर बर्बाद कर दो, इसपर अभियुक्त हरि यादव भाला से मनोज यादव को मारकर जख्मी कर दिया एवं अन्य सभी लाठी–डंडा, रड, ईटा से मारपीट करने लगे। मारपीट के क्रम में बबीता देवी के गला से गहना इन्दो देवी खींच लिया, चानो देवी को रामजी यादव पकड़कर जमीन पर पटक दिया तथा बुरी नियत से कपड़ा फाड़कर अर्द्धनग्न कर दिया। अनिता देवी बीच–बचाव कर रही थी कि दुलारी देवी ईटा से छाती पर मारने लगी तथा गला से सोना का चेन खींच लिया। अभियुक्त सियाराम यादव की लड़की निकेता कुमारी जमीन हड़पने एवं मारपीट के लिए अपने पिता एवं परिवार को उकसाते रहती है।

19.10.2022 **<u>जमानत आवेदन पत्र संख्या–1050/2022</u>**

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और वह कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक को जमीनी विवाद के कारण इस केस में झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों के बीच काउंटर केस है। आवेदक दिनांक–03.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस वाद में आवेदक के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा–147, 148, 149, 447, 341, 323, 324, 307, 337, 338, 354बी, 379, 504, 506 के अपराध के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कांड दैनिकी की कंडिका–5, 6, 7 में साक्षियों के अंकित द.प्र.सं. की धारा–161 के बयान के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक के उपर विनिर्दिष्टतः आरोप नहीं लगाया गया है। कांड दैनिकी के साथ संलग्न जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि जख्मी सुनिल कुमार को गंभीर प्रकृति का जख्म एवं अन्य जख्मियों को साधारण प्रकृति का जख्म कारित हुआ है तथा जख्मी के संवेदनशील अंगों पर जख्मों की पुरावृति नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह इस वाद में दिनांक–03.09.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं आवेदक के अभिरक्षा अवधि पर विचार करते हुए आवेदक को 10,000/–रू0 (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि–

1–एक जमानतदार आवेदक का निकट संबंधी होगा।

Sd/-
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
अररिया